334

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी

राजस्व/छतरपुर/प्र0क्र0/2017/2687

1. फिरोज खांन तनय उमरदराज खांन
2. सरफराज तनय उमरदराज खांन
3. अजहर तनय श्री उमरदराज खांन निवासीगण छतरपुर।

.............आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती रामबाई पुत्री स्व. शिवदयाल श्रीवास पत्नी श्रीमन प्यारे श्रीवास निवासी ग्राम नौगांव तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर म.प्र.।

..........अनावेदक

श्री सुनील सिंह पाण्डेय द्वारा आज दि. 18-8-17 को प्रस्तुत

18.8.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध तहसीलदार तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. के प्र0क 27/अ–6 अ/2013–14 मे पारित आदेश दिनांक 29.7.2017 के विरूद्ध निगरानी

19/8/17

माननीय महोदय,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

<u>प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:</u>

1. यहकिं, अनावेदक द्धारा ग्राम सौरा तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. की भूमि सर्वे कमाक 202/3,203/2,233/1243/1 कुल 4 एकत्र रकवा 2.683 हे. नये ख नं. 69,91,95,119,की भूमि का राजस्व रिकार्ड को दुरस्ट कराये जाने हेतु म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115,116 एवं सहपठित धारा 32 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस आवेदन पत्र पर से प्रकरण क 27/अ–6अ/13–14 दर्ज किया गया जिस प्रकरण में आवेदकगण द्धारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण की अनुमति प्रदाय की जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस आवेदन पत्र पर से विधिवत एंव नियमानुसार सुनवाई व साक्षीगण से से प्रतिपरीक्षण किये वगैर आवेदकगण का प्रतिपरीक्षण का आवेदन पत्र आलोच्य आदेश दिनांक 29.7.2017 से निरस्त कर दिया गया एंव पेशी अनावेदक साक्ष्य हेतु पेशी 8.8.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2017/2687

फिरोज खान आदि विरूद्ध श्रीमती रामबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक- 27/अ-6-अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29-07-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर	

के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

09/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य